प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल ४६२०११ फोन न. 0 755-2578801-2,
Fax: +91-755-2550498 Web :- www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा-2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा - 2020 - परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका (संशोधित)

ऑनलाईन आवेदन-पत्र				
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 14-12-2021		ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 28-12-2021		
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 14-12-2021		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 02-01-2022		
परीक्षा दिनांक व दिन		शनिवार, 05-03-2022 से प्रारम्भ		
पी.ई.बी.परीक्षा शुल्क (अ)			**विभागीय शुल्क (ब) (स्कूल शिक्षा विभाग)**	**कुल (अ+ब)**
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू 500/-	रू 100/-	रू 600/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 250/-	रू. 50/-	रू. 300/-
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।				
नोट:- म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 03.01.2020 एवं पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 11.10.2021 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु "विभागीय शुल्क(ब)" बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जावेगा।				

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	**परीक्षा की पाली**	**अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय**	**महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय**	**उत्तर अंकित का समय**
शनिवार, 05-03-2022 से प्रारम्भ	**एक**	प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक	**08:50** से 09:00 बजे तक (10 मिनिट)	प्रात: 09:00 से 11:30 बजे तक (2:30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक	**01:50** से 02:00 बजे तक (10 मिनिट)	दोपहर 02:00 से 4:30 बजे तक (2:30 घंटे)

<u>प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी-फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नही है. पूर्व में भरे गये एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे.</u>

टिप्पणी :-

1 अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2 बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

3 अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।

4 परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।

5 परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

6 परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. सभी अभ्यथियो का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनियार्य होगा|

9. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी।

11. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता हैं| अत: कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) पूर्णत प्राविधिक (Provisional) होगी|

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म.प्र.

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in, ई-मेल : E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in,

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा-2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा - 2020

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका (संशोधित)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	संयुक्त प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 विभागीय नियम	3-4
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा संचालन नियम	5-15
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	16-21
4.	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	22

अध्याय - 1
पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.02.2011 के अनुसार उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना हैं | मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के विभाग के आदेश पत्र क्रमांक एफ-1-176/2018/2-1, दिनांक 06/10/2018 तथा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक/शि.स्था.4/841/2021/10419, दिनांक 23/06/2021 एवं पत्र क्रमांक/शि.स्था.4/841/2021/16441, दिनांक 24/09/2021 द्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को अधिकृत किया गया। इसके लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं |

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा-2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1-176/2018/20-1, दिनांक 11/10/2021 तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 1475/3003/2021/25-1, दिनांक 25/10/2021 में दोनों विभागों द्वारा विभागीय नियमो में एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गयी है.

1. पद का विवरण - प्राथमिक शिक्षक

2. आवेदन-पत्र / निर्देश पुस्तिका - प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।

3. परीक्षा केंद्र - प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के निर्देशानुसार होगा।

4 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता :-

कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष।

अथवा

50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हैं, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप मे नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा | किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप मे नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप मे नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा मे 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा |

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेन्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र मे दो वर्ष का डिप्लोमा |

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड़.) |

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) मे 2 वर्षीय डिप्लोमा |

अथवा

स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष

नोटः- आरक्षित वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी |

5. शिक्षक पात्रता परीक्षा मे अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़े वर्ग/ दिव्यांग व्यक्ति	**अन्य**
(1)	(2)
50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

6. स्पष्टीकरण -:

(1) पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य् पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं एवं जिनके पास मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होगें।

(3) दिव्यांगजन आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होगें।

(4) पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक दिया जाएगा जिसमें पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा। प्राप्तांको को राउण्डऑफ नहीं किया जायेगा।

(5) इस पात्रता परीक्षा मे अर्हता प्राप्त आवेदको मे से अशासकीय विद्यालयो के लिए भी नियुक्त किये जाने वाले शिक्षको की नियुक्ति की जा सकेगी |

(6) यह स्पष्ट किया जाता हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मे अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता की शर्तो मे से यह एक शर्त की पूर्ति करेगा |

(7) आवेदक को भाषा 1 एवं भाषा 2 के विकल्प मे अलग-अलग विषय चयनित करना होगा |

(8) प्रश्न पत्र मे पैड़ागाँजी,भाषा-1, भाषा-2, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के पृथक-पृथक 30-30 प्रश्न होंगे |

(9) प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मे भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष मे प्रवेशरत हैं, भी पात्रता परीक्षा मे बैठने हेतु मान्य होंगे | ऐसे आवेदको को उस तिथि की अंकसूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे |

(10) **नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए |** यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आयु सीमा केवल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु ही मान्य होगी | प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 के अंतिम परिणामों के आधार पर की जाने वाली वास्तविक भर्ती के समय पात्र अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के संबंध मे स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के सेवा शर्तो व विभागीय भर्ती नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग के तत्समय प्रचलित प्रावधान तथा दिशा निर्देश लागू होंगे |

(11) शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा | इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी अथवा यथासमय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार होगी |

7. परीक्षा की योजना एवं पाठयक्रम पृथक से संलग्न किये गये हैं |

8. म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 03.01.2020 अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया हैं कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/- एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- पी.ई.बी. द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को विभाग को स्थानान्तरित किया जावेगा |

9. इस परीक्षा हेतु पूर्व में माह जनवरी-फरवरी 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 हेतु आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नही है. पूर्व में भरे गये एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे.

अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अवर सचिव
म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।

2.2 (i) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा यथास्थिति नियुक्ति करने के पूर्व शासन आदेशानुसार किया जायेगा।

(iii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/ चयन नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / पके आधार पर लिखित परीक्षा में नि 2020/02/05 कभोपाल दिना 2020 / 712 / 1-:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रद उपरोक्त से ान की जावेगी किन्तु दृष्टिबाधित | सहायक अथवा प्रतिपूरक | दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं की सुविधा (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) समय अथवा दोनों शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनाक से दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई 10 आवेदित लेखन सहायक आपरिहर्य कारणों से पूर्व में |बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ताप्रश्न पत्र / उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक | से एक स्तर नीचे का होना चाहिए (जो भी कम हो) के स्तर सेकण्ड्री होना चाहिए। योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे मिनिट की 30 अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
30 घंटे 1मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-
यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा .

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति -:

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी./5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 **ब.** परीक्षा मे परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पीईबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है. वेबसाइट पर लिंक प्रदर्शित होने के तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियां ली जा सकेंगी. उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी.

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :-

(अ) <u>अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में -</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा.
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/ प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना |
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना |
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियोंअधिकारियों को परेशान करना/,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबंद किया जावेगा. उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधि में अभ्यर्थी की आपराधिक संलिप्तता होने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी.

(ब) <u>पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा द्वितीय परीक्षा, दस्तावेज के परिक्षण / सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाए जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा.

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परिक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता / परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है.

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.in.gov.mp पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

2. 13 परीक्षा परिणाम :-

(i) बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले परीक्षा परिणाम मे लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर केवल आवेदकों का Qualified/Disqualified Status अंकित होगा | इस परिणाम मे श्रेणीवार / संवर्गवार समेकित क्रम अंकित नहीं होगा |

(ii) परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.in.gov.mp पर अपलोड किया जायेगा। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र.पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

---x---

खण्ड-ब

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण यथा (दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची) को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.17 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर-हस्तलिपि डेटा होने पर आवेदन पत्र अमान्य किये जायेंगे.

(xi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2. 18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक / आधार VID अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric सत्यापन आवश्यकतानुसार विभाग स्तर पर ही किया जावेगा।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत Application क्लिक कर PEB लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे|

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा

हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

(स) UPI / BHIM APP

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमैं क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.23 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P.OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियम-पुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी .की E-mail ID "Complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है।

खण्ड - स

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
14-12-2021	28-12-2021	15	14-12-2021	02-01-2022	20

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	शनिवार, 05-03-2022 से प्रारम्भ	2.30 घंटे	प्रात: **09:00** से 11:30 बजे तक	150
2	द्वितीय		2.30 घंटे	दोपहर 02:00 से 04:30 बजे तक	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	foHkkx	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	पी.ई.बी. **परीक्षा शुल्क**	**500/-**	**250/-**	**250/-**	कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।
02	**स्कूल शिक्षा विभाग शुल्क**	**100/-**	**50/-**	**50/-**	
कुल शुल्क		**600/-**	**300/-**	**300/-**	

नोट:- म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 03.01.2020 एवं पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 11.10.2021 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु "विभागीय शुल्क(ब)" बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जावेगा |

(ii) आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	20/-	40/-

2.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र				
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन
6. नीमच	7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना
11. खंडवा	12. गुना	13. दमोह	14. सीधी	15. छिंदवाड़ा
16. बालाघाट				

<u>खण्ड-द</u>

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेशपत्र-करूप से संभाल कर रखे जिसकी आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्य : कर सकते है । अतप्राप्त समस्तजिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ईबी.. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता हैं |

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय - 3

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2020 हेतु

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

1. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.30 घंटे होगी।
2. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा।
4. परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग	विषयवस्तु (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)	30 MCQ	30 Marks
(ii)	भाषा-1 (Language-I)	30 MCQ	30 Marks
(iii)	भाषा-2 (Language-II)	30 MCQ	30 Marks
(iv)	गणित (Mathematics)	30 MCQ	30 Marks
(v)	पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study)	30 MCQ	30 Marks
	कुल	**150 MCQ**	**150 Marks**

5. प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (**Nature and Standard of Questions**) निम्नानुसार होगा-

(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6-11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फेसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

(ii) भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

(iii) भाषा-2, भाषा-1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा-2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

(iv) गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पैडागाँजी की समझ पर आधारित होंगे।

6. प्रश्न पत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा-1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं सम्बद्धता हाईस्कूल स्तर तक की हो सकती है।
7. उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दिया गया है -

विस्तृत पाठ्यक्रम

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (child Development & Pedagogy)	30 प्रश्न

(अ) बाल विकास	15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं :सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइकः रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्त्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकनः स्वरूप और प्रथाएं ङ्कान्यताएंय
- अधिगमकर्त्ताओं की तैयारी के स्तर के आंकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षाकक्ष में अधिगम को बढ़ाने आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्त्ता की उपलब्धि के आंकलन के लिए।

(ब) समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ	5 प्रश्न

- अलाभान्वित, एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्त्ताओं की पहचान।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्त्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालकः पहचान एवं निदानात्मक पक्ष।
- बाल अपराधः कारण एवं प्रकार

(स) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी)	10 प्रश्न

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं,बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ,अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में,अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्त्ता और वैज्ञानिक-अन्वेषक के रूप में बच्चा।
- बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं,बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकः अवधान और रुचि।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक -व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन
- स्मृति और विस्मृति

हिन्दी भाषा **(Hindi Language)**	30 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ/अवबोध	-	15 प्रश्न

भाषायी समझ/अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ, जिसमे एक गद्यांश (नाटक/एकांकी/घटना/निबंध/कहानी/आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो, इस अपठित में से समझ/अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाये. गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/सामाजिक समरसता/तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते है.

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र	-	15 प्रश्न

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत
- पुनः शिक्षण

अंग्रेजी भाषा **(English Language)**	30 प्रश्न

a. Compréhension	**15 Questions**

Two unseen prose passages (discursive or literary or narrative or scientific) with questions on comprehension, grammar and verbal ability.

b. Pedagogy of language development	**15 questions**

- Learning and acquisition of language
- Principles of second language teaching
- Language skills-listening, speaking, reading, writing
- Role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool
- The role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form
- Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties
- Teaching learning materials, text book, multi-media materials multi-lingual resource of the classroom
- Evaluating language comprehension and proficiency : listening, speaking, reading and writing
- Remedial teaching (Re- teaching)

संस्कृत भाषा (Sanskrit Language)	30 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ/अवबोध	-15 प्रश्न

भाषायी समझ /अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाट्यांश/निबंध/कथा आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो, इन अपठित में से समझ/अवबोध, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यिक / सामाजिक समरसता/तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता हैं।

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र	-15 प्रश्न

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता |
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त |
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं |
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका |
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियॉं, कठिनाइयॉं, त्रुटियॉं एवं क्रमबद्धता |
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन |
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत |
- पुनः शिक्षण

उर्दू भाषा (Urdu Language)	30 प्रश्न

1.जामे सलाहियत पर मबनी सवालात	15 सवालात

- दो गेर दरसी इक्तिबासात (मालूमाती/अदबी/बयानिया/साइंसी)
- सलाहियत पर मबनी सवालात, कवायद, और ज़बानी सलाहियत पर मबनी सवालात।

2. ज़बान के नशवोनुमा और तदरीसी तरीके	15 सवालात

- सीखना और यादरखना।
- ज़बान की तदरीस के असूल।
- ज़बान में सुनने और बोलने की एहमियत, ज़बान का काम और बच्चों के जरिए जुबान की महारतों का इस्तेमाल।
- ज़बान सीखने और खय़ालात का ज़बानी और तहरीरी इज़हार करने में कवायद (ग्रामर) के रोल का तनक़ीदी जायज़ा।
- क्लास रूम में मुखतलिफ तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों की ज़बान की मुश्किलात, गल्तियों और बेतरतीबियों के चैलेंज को कुबूल करते हुए ज़बान पढ़ाना।
- ज़बान की महारतें।
- ज़बान की सलाहियत और ज़बान पर उबूर के तजज़िए के लिए बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- तालीमी इम्दादी अशिया (TLM) दरसी कुतुब और मल्टी मीडिया मेटीरियल, क्लास रूम में मुहैया मुखतलिफ ज़बानों का मवाद।
- तदारकी तदरीस ।

निसाबी मोज़ूआत

- असनाफे नस्र -कहानी, मालूमाती मज़ामीन, ड्रामा, मकालमा
- असनाफे नज़्म -नज़्म, गीत
- ग्रामर -इस्म, ज़मीर, फ़ेअल, सिफ़त, मेय क़िस्में जिंस, ज़माना, जुम्ले व मुहावरे, वाहिदजमा, मुज़क्कर, मोअन्नस, तज़ाद, नज्म गीत वगेरह की तारीफ
- ख़तूत और दरख़्वास्त नवीसी
- गैर दरसी इक्तिबास
- मज़मून नवीसी

गणित (Mathematics)	30 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (Content)	15 प्रश्न

- संख्या पद्धति - 1000 से बडी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बडी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व चार मूलभूत संक्रियाएँ |
- जोड़ना व घटाना -पाँच अंको तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना
- गुणा- 2 या 3 अंको की सख्याओं का गुणा करना |
- भाग- दो अंको वाली संख्या से चार अंको वाली संख्या में भाग देना
- भिन्न -भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा व भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव मे तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना |
- सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई में संबंध |
- बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना |
- ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना |
- पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नो मे चार मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना |
- मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर मे बदलना |
- पैटर्न - संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना |
- ज्यामिति - मूल ज्यामितीय अवधारणायें, किरण, रेखाखण्ड, कोण (कोणों का वर्गीकरण), त्रिभुज, (त्रिभुजों का वर्गीकरण - (1) भुजाओं के आधार पर (2) कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180^0 होता हैं|
- वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ |
- वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समानान्तर रेखा व लम्बवत रेखा की समझ |
- सरल ज्यामितीय आकृतियों (त्रिभुज, आयत, वर्ग) का क्षेत्रफल तथा परिमाप दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना |
- परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान |
- दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आकड़ों को एकत्र करना |
- घड़ी के समय को घंटे तथा मिनिट में पढ़ना तथा AM और PM के रूप में व्यक्त करना |
- 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध |
- दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना |
- गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान |
- सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न |
- दण्ड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना |

(ब) Pedagogical issues	15 प्रश्न

- गणित शिक्षण द्वारा चिन्तन एवं तर्कशक्ति का विकास करना।
- पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना
- मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना।
- गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता

पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study)	30 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (Content)	20 प्रश्न

1. हमारा परिवार, हमारे मित्र -

- परिवार और समाज से सहसंबंध -परिवार के बड़े-बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता ।
- हमारे पशु, पक्षी -हमारे पालतू पशु-पक्षी, माल वाहक पशु, हमारे आस-पास के परिवेश में जीव-जन्तु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव ।
- हमारे पेड़-पौधे -स्थानीय पेड़-पौधे, पेड़-पौधों एवं मनुष्यों की अन्तःनिर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़-पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव ।
- हमारे प्राकृतिक संसाधन -प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्त्रोत।

2. खेल एवं कार्य

- खेल, व्यायाम और योगासन।
- पारिवारिक उत्सव,विभिन्न मनोरंजन के साधन-किताबें,कहानियाँ, कठपुतली प्ले, मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना।
- विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय।

3. आवास

- पशु, पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएँ।
- स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल।
- उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना।
- शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ-सफाई और अच्छी आदतें।

4. हमारा भोजन और आदतें

- भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक।
- फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगो के अनुसार फल, सब्जियाँ।
- भोज्य पदार्थो का स्वास्थ्य वर्धक संयोजन।
- विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय।
- उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय।
- खाद्य संसाधनों की सुरक्षा

5. पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण

- जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता।
- स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका।
- पानी के स्त्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके।
- संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव,अन्य संक्रामक रोग।
- हवा,पानी,भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थो और उनका प्रबंधन,उचित निस्तारण।
- भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन
- प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन- संसाधनों का उचित दोहन, डीजल, पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि |

6. प्राकृतिक वस्तुएं और उपज

- मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक-रासायनिक खाद।
- विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र।
- फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण।

7. मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव

- वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव
- ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण एवं निदान।
- पालिथिन, प्लास्टिक का उपयोंग और उनका अपघटक अपमार्जक
- जीवाश्म ईधन के प्रयोग के प्रभाव।
- आपदा प्रबंधन

8. अंतरिक्ष विज्ञान

- अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव।
- अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनायें।
- अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियां ।

(ब) पेडागॉजिकल मुद्दे	10 प्रश्न

- पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता ।
- पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा।
- पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व।
- पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध।
- अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ।
- परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व।
- चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतीकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना।
- सतत-व्यापक मूल्यांकन -शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट्स एवं एनेक्डॉटल रिकार्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाईल से शिक्षण व्यवस्थाएँ।
- पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री/सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग।
- स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएँ और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास।

----00----

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों esa vFkok vaxzsth dsy/kqgLrk{kj eku; ugha gksaxsA (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction (फोटो / Photo)

फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्वघोषणा- / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्वघोषणा- / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3